राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः–पत्र).2(च) ( ) जांच / डीएलबी / 2016 / 1971 दिनांकः– 5/8/14

–: आदेश :–

श्री ताराराम माली सभापति, नगर परिषद, सिराही के विरूद्व पद का दुरूपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रारम्भिग जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया है। श्री ताराराम माली, सभापति, नगर परिषद, सिरोही के विरूद्व लगाये गये आरोप काफी गम्भीर प्रकृति के पाये जाने के कारण दुराचरण की श्रेणी में आते है, राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा (3) (4) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। श्री ताराराम माली सभापति, नगर परिषद, सिरोही के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री ताराराम माली सभापति, नगर परिषद, सिरोही को सभापति एवं सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

3/5/8/14
(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांकः–

क्रमांकः–पत्र).2(च) ( ) जांच / डीएलबी / 2016 /
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (3) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज.जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सिरोही।
6. उप निदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही।
8. श्री ताराराम माली, सभापति, नगर परिषद, सिरोही।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(रक्षा पारीक)
सहायक निदेशक (सतर्कता)

Scanned by CamScanner